

**मांग संख्या 01**  
**मुख्य शीर्ष 2012**

**मद क्रमांक 1**

मध्यप्रदेश राजभवन अंतर्गत मजदूरी व्यय हेतु रुपये 4.00 लाख के अतिरिक्त व्यय की संभावना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 4,00,000 के अनुपूरक विनियोग की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 2**

मध्यप्रदेश राजभवन अंतर्गत कार्यालय व्यय हेतु रुपये 5.00 लाख के अतिरिक्त व्यय की संभावना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 5,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 3**

मध्यप्रदेश राजभवन में केन्द्रीय आवास हेतु रुपये 2.00 लाख के अतिरिक्त व्यय की संभावना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 2,00,000 के अनुपूरक विनियोग की आवश्यकता है।

**मुख्य शीर्ष 2013**

**मद क्रमांक 4**

मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान हेतु रुपये 20.00 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 20,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 5**

सामान्य प्रशासन विभाग के अंतर्गत मंत्रियों के वैवेविक अनुदान हेतु रुपये 100.00 लाख के अतिरिक्त व्यय की संभावना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 6**

सामान्य प्रशासन विभाग के अंतर्गत मंत्रियों के सहायता अनुदान हेतु रुपये 50.00 लाख के अतिरिक्त व्यय की संभावना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 50,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मुख्य शीर्ष 2015**

**मद क्रमांक 7**

राज्य निर्वाचन आयोग कार्यालय हेतु एक नवीन वाहन क्रय किया जाना है, इस हेतु राशि रुपये 10.00 लाख की आवश्यकता है। इस हेतु द्वितीय अनुपूरक अनुमान में प्रतीक प्रावधान किया जाना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मुख्य शीर्ष 2051**

**मद क्रमांक 8 - 9**

सामान्य प्रशासन विभाग के अंतर्गत लोक सेवा आयोग हेतु वेतन भत्ते के लिये रुपये 200 के प्रतीक प्रावधान खोले जाने है, राशि की व्यवस्था बचत से पुनर्विनियोजित द्वारा की जायेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 200 के प्रतीक अनुपूरक विनियोग की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 10**

राज्य लोक सेवा आयोग हेतु डिक्रीधन मद में राशि रुपये 80,000 का व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 80,000 के अनुपूरक विनियोग की आवश्यकता है।

**मुख्य शीर्ष 2052**

**मद क्रमांक 11 - 18**

सामान्य प्रशासन विभाग के अंतर्गत सचिवालय सेवाओं के लिये वेतन भत्ते एवं कार्यालयीन व्यय, चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति आदि मद में रुपये 15,66,00,200 का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 15,66,00,000 के अनुपूरक अनुदान एवं रुपये 200 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मुख्य शीर्ष 2059**

**मद क्रमांक 19**

मुख्य तकनीकी परीक्षक कार्यालय हेतु विशेष सेवाओं के लिये मानदेय एवं सुरक्षा व्यवस्था हेतु कुल रुपये 200 के प्रतीक प्रावधान की आवश्यकता है। राशि की व्यवस्था बचत से पुनर्विनियोजन द्वारा की जानी है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 200 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मुख्य शीर्ष 2251**

**मद क्रमांक 21 - 22**

सामान्य प्रशासन विभाग के अंतर्गत सचिवालय सेवाओं के लिये वेतन एवं मकान किराया मद में राशि रुपये 102.00 लाख के अतिरिक्त व्यय की संभावना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,02,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मुख्य शीर्ष 3451**

**मद क्रमांक 23 - 25**

सामान्य प्रशासन विभाग के अंतर्गत सचिवालय सेवाओं के लिये वेतन, अखिल भारतीय सेवा हेतु वेतन एवं महंगाई भत्ता मद कुल राशि रुपये 210.00 लाख के अतिरिक्त व्यय की संभावना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 2,10,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मांग संख्या 02**

**मुख्य शीर्ष 2052**

**मद क्रमांक 1**

मध्यप्रदेश सामान्य प्रशासन विभाग के अंतर्गत मानव अधिकार आयोग को सहायक अनुदान के अंतर्गत विभिन्न प्रयोजनों हेतु राशि रुपये 1.50 करोड़ का व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,50,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मुख्य शीर्ष 2070**

**मद क्रमांक 2**

मध्यप्रदेश सामान्य प्रशासन विभाग के अंतर्गत स्वागत तथा सामपत्तिक पदाधिकारी कार्यालय में आतिथ्य पर व्यय हेतु आवश्यकता होने के कारण राशि रुपये 50.00 लाख व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 50,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 3 - 4**

सामान्य प्रशासन विभाग के अंतर्गत संयुक्त आयुक्त (लिटिगेशन एवं समन्वय) की स्थापना/गठन हेतु किराया महसूल और स्थानीय कर में रुपये 1.00 लाख एवं परिवहन व्यवस्था में रुपये 3.00 लाख के अतिरिक्त व्यय की संभावना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 4,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मांग संख्या 03**  
**मुख्य शीर्ष 2055**

**मद क्रमांक 1 - 6**

क्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक एवं संभागीय स्थापना के अंतर्गत अवकाश यात्रा भत्ता, यात्रा भत्ता, डाक तार, अन्य आकस्मिक व्यय, आर.आर.टी एवं मशीन उपकरण का अनुरक्षण मद में राशि रुपये 23.70 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 23,70,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 7 - 10**

राज्य मुख्यालय के अंतर्गत अवकाश यात्रा भत्ता, यात्रा भत्ता, डाक तार एवं आर.आर.टी मद में राशि रुपये 31.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 31,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 11 - 18**

पुलिस प्रशिक्षण शालाये के अंतर्गत यात्रा भत्ता, स्थानांतरण यात्रा भत्ता, पेट्रोल, प्रशिक्षण, सफाई व्यवस्था, मानदेय, राशन का मूल्य एवं विज्ञापन मद में राशि रुपये 106.50 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,06,50,000 के अनुपूरक अनुदान एवं रुपये 200 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 19 - 20**

अपराध अनुसंधान विभाग के अंतर्गत यात्रा भत्ता एवं गोपनीय सेवा मद में राशि रुपये 25.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 25,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 21 - 26**

लोक अभियोजन के अंतर्गत वेतन, मंहगाई भत्ता, मकान किराया, अन्य भत्ता, कार्यालय उपकरण एवं प्रशिक्षण मद में राशि रुपये 144.00 लाख का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,44,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 27 - 32**

राज्य सायबर मुख्यालय के अंतर्गत यात्रा भत्ता, बिजली, अन्य आकस्मिक व्यय, परिवहन व्यय, मशीन उपकरण, अनुरक्षण एवं सामग्री पूर्ति मद में

राशि रुपये 40.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 40,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 33 - 43**

सामान्य व्यय (विशेष पुलिस) के अंतर्गत पारितोषिक, यात्रा भत्ता, स्थानांतरण यात्रा भत्ता, मोटर वारंट का मूल्य, बिजली, लेखन, अन्य आकस्मिक व्यय, प्रशिक्षण, सफाई व्यवस्था, अन्य एवं मशीन अनुरक्षण मद में राशि रुपये 72.50 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 72,50,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 44 - 49**

डकैती रोधक अभियान के अंतर्गत चिकित्सा प्रतिपूर्ति, बिजली, लेखन सामग्री, अन्य आकस्मिक व्यय, पेट्रोल एवं वाहन अनुरक्षण मद में राशि रुपये 3.80 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 3,80,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 50**

अनुसूचित जाति/जनजाति के थानों की स्थापना के अंतर्गत वेतन मद में राशि रुपये 14.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 14,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 51**

पुलिस थानों का सुदृढीकरण के अंतर्गत लेखन सामग्री मद में राशि रुपये 12.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 12,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 52 - 55**

सुरक्षा संबंधी व्यय के अंतर्गत अन्य आकस्मिक व्यय, पेट्रोल, प्रशिक्षण एवं अन्य प्रभार मद में राशि रुपये 4.00 करोड़ का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 4,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 56 - 57**

महिला अपराध शाखा का गठन के अंतर्गत यात्रा भत्ता एवं पेट्रोल मद में राशि रुपये 6.50 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 6,50,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 58 - 59**

नेशनल इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम के अंतर्गत नवीन वाहनों का क्रय एवं अन्य प्रभार मद में राशि रुपये 5.32 करोड़ का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 5,32,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मुख्य शीर्ष 2070**

**मद क्रमांक 60**

होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा के अंतर्गत विशेष सेवाओं के लिये मानदेय मद में राशि रुपये 100.00 करोड़ का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,00,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 61 - 67**

होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा के अंतर्गत चिकित्सा व्यय, लेखन सामग्री, पेट्रोल, सेमीनार, मशीन एवं उपकरण का अनुरक्षण, वाहन का अनुरक्षण मद में राशि रुपये 99.58 लाख एवं डिक्रीधन के भुगतान हेतु भारत मद में राशि रुपये 1.48 लाख का व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 99,58,000 के अनुपूरक अनुदान एवं रुपये 1,48,000 के अनुपूरक विनियोग की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 68 - 69**

राज्य आपदा आपातकालीन मोचन बल का गठन के अंतर्गत वेतन एवं विशेष सेवाओं के लिये मानदेय मद हेतु रुपये 3.40 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 3,40,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मुख्य शीर्ष 4055**

**मद क्रमांक 70**

बड़े शहरों में यातायात प्रबंधन के अंतर्गत मशीन उपकरण मद में राशि रुपये 1.50 करोड़ का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,50,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 71**

सामान्य व्यय (विशेष पुलिस) के अंतर्गत भूमि का क्रय मद में राशि रुपये 5.00 करोड़ का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 5,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 72**

नेशनल इमरजेंसी रिस्पॉस सिस्टम के अंतर्गत मशीन उपकरण मद में राशि रुपये 8.86 करोड़ का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 8,86,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मांग संख्या 04**

**मुख्य शीर्ष 2235**

**मद क्रमांक 1**

राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अंतर्गत परीक्षा एवं प्रशिक्षण मद में राशि रुपये 34.46 लाख का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 34,46,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मांग संख्या 05**

**मुख्य शीर्ष 2056**

**मद क्रमांक 1-2**

जेल विभाग में वेतन मद में आवश्यकता होने के कारण आगामी माहों के वेतन भत्ते मद में कुल राशि रुपये 33.00 लाख का व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 33,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मांग संख्या 08**  
**मुख्य शीर्ष 2029**

**मद क्रमांक 1 - 2**

जिला खर्च वेतन भत्ते मद में कुल रुपये 157.15 करोड़ की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,57,15,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मुख्य शीर्ष 2053**

**मद क्रमांक 3**

जिला स्थापना योजना अंतर्गत डिक्रीधन के भुगतान हेतु ( भारित ) मद में राशि रुपये 50.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 50,00,000 के अनुपूरक विनियोग की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 4**

आदेशिका वाहक स्थापना अंतर्गत मजदूरी मद हेतु रुपये 2.00 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 2,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मांग संख्या 09**  
**मुख्य शीर्ष 2058**

**मद क्रमांक 1 - 2**

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री का कार्यालय अंतर्गत वेतन तथा अन्य भत्ते मद हेतु रुपये 22.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 22,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मांग संख्या 10**  
**मुख्य शीर्ष 4406**

**मद क्रमांक 1**

मध्यप्रदेश लघु वनोपज संघ के अंतर्गत रुपये 479.00 करोड़ की आवश्यकता है। राशि की व्यवस्था राजस्व मद से समर्पित कर की जायेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 4,79,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 2**

मध्यप्रदेश वन विकास निगम के अंतर्गत रुपये 195.00 करोड़ की आवश्यकता है। राशि की व्यवस्था राजस्व मद से समर्पित कर की जायेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,95,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 3**

नर्मदा नदी के किनारे वन भूमि पर वृक्षारोपण के अंतर्गत रुपये 15.00 करोड़ की आवश्यकता है। राशि की व्यवस्था राजस्व मद से समर्पित कर की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 15,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 4**

वैकल्पिक वृक्षारोपण निधि से व्यय के अंतर्गत रुपये 28.32 करोड़ की आवश्यकता है। राशि की व्यवस्था राजस्व मद से समर्पित कर की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 28,32,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मांग संख्या 12**  
**मुख्य शीर्ष 2801**

**मद क्रमांक 1**

उदय योजना मद से पुनर्विनियोजित राशि की प्रतिपूर्ति हेतु राशि रुपये 1005.00 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 10,05,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 2**

प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना मद में राशि रुपये 82.34 करोड़ का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 82,34,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 3**

नवीन उदय योजना अंतर्गत वितरण कंपनियों की हानियों की 5 प्रतिशत राशि का अधिग्रहण हेतु राशि रुपये 254.19 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 2,54,19,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 4,6,8**

टैरिफ सब्सिडी हेतु विद्युत वितरण कंपनियों के लिये राशि रुपये 655.00 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 6,55,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 5,7**

विद्युत वितरण कंपनियों द्वारा प्रदाय की जा रही निःशुल्क विद्युत प्रदाय की प्रतिपूर्ति हेतु राशि रुपये 455.00 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 4,55,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मुख्य शीर्ष 6801**

**मद क्रमांक 9**

विद्युत वितरण कंपनियों के लिये उप पारेषण एवं वितरण प्रणाली के सुदृढीकरण योजना हेतु राशि रुपये 280.47 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 2,80,47,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 10**

ए.डी.बी. सहायित उप पारेषण एवं वितरण प्रणाली योजना अंतर्गत राशि रुपये 34.91 करोड़ का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 34,91,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 11**

विद्युत वितरण कंपनियों के अंतर्गत ए.डी.बी. सहायित फीडर विभक्तिकरण योजना हेतु राशि रुपये 197.57 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,97,57,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 12**

ए.डी.बी. सहायित 33/11 के.वी. उप केन्द्रों का नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण एवं डी.टी.आर. मीटरिंग योजना अंतर्गत राशि रुपये 27.25 करोड़ का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 27,25,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मांग संख्या 13**  
**मुख्य शीर्ष 2401**

**मद क्रमांक 1**

कृषि विभाग के अंतर्गत जिला स्तर का अमला हेतु डिक्रीधन के भुगतान के लिये राशि रुपये 10.00 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 10,00,000 के अनुपूरक विनियोग की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 2**

कृषि विभाग के अंतर्गत सब मिशन कृषि उत्पादन सहायक अनुदान हेतु राशि रुपये 1971.12 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 19,71,12,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 3**

कृषि विभाग के अंतर्गत कृषि वानिकी सब मिशन हेतु राशि रुपये 27.30 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 27,30,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 4**

कृषि विभाग के अंतर्गत सहायक अनुदान हेतु राशि रुपये 925.63 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 9,25,63,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 5**

कृषि विभाग के अंतर्गत सब मिशन आन फार्म वाटर मेनेजमेन्ट योजना हेतु राशि रुपये 913.55 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 9,13,55,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 6**

कृषि विभाग के अंतर्गत सीड एण्ड प्लानिंग मटेरियल हेतु राशि रुपये 57.00 करोड़ की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 57,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 7 - 8**

कृषि विभाग के अंतर्गत सब मिशन सीड एण्ड प्लानिंग मटेरियल हेतु राशि रुपये 137.33 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,37,33,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 9-11**

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हेतु राशि रूपये 1026.65 करोड़ की आवश्यकता है।



अतः उक्त प्रयोजन हेतु रूपये 10,26,65,00,000 की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 12**

कृषि विभाग के अंतर्गत ट्रैक्टर एवं कृषि उपकरणों पर अनुदान हेतु राशि रुपये 1705.17 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 17,05,17,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 13**

कृषि विभाग के अंतर्गत कृषि यंत्रीकृत गतिविधियों हेतु राशि रुपये 444.17 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 4,44,17,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 14**

कृषि विभाग के अंतर्गत ट्रैक्टर एवं कृषि उपकरणों पर अनुदान हेतु राशि रुपये 2040.69 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 20,40,69,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 15**

कृषि विभाग के अंतर्गत खाद्य सुरक्षा मिशन हेतु राशि रुपये 581.96 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 5,81,96,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 16**

कृषि विभाग के अंतर्गत ट्रैक्टर एवं कृषि उपकरणों पर अनुदान हेतु राशि रुपये 1360.60 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 13,60,60,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 17**

कृषि विभाग के अंतर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन हेतु राशि रुपये 798.87 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 7,98,87,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 18**

कृषि विभाग के अंतर्गत मुख्यमंत्री फसल ऋण माफी योजना हेतु राशि रुपये 5000.00 करोड़ की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 50,00,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 19**

कृषि विभाग के अंतर्गत भावान्तर/फ्लेट रेट योजना हेतु राशि रुपये 1500.00 करोड़ की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 15,00,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 20 - 36**

कृषि विभाग के अंतर्गत लघु सिंचाई गणना एवं जल निकायों की गणना योजना अंतर्गत वेतन भत्ते आदि हेतु प्रतीक प्रावधान की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,700 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 14  
मुख्य शीर्ष 2403

**मद क्रमांक 1**

पशुपालन विभाग के अंतर्गत गौ संवर्धन एवं पशुओं का संवर्धन योजना हेतु राशि रुपये 50.00 करोड़ की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 50,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4403

**मद क्रमांक 2**

पशुपालन विभाग के अंतर्गत पशु चिकित्सालयों एवं पशु औषधालयों का सुदृढीकरण हेतु राशि रुपये 3.24 करोड़ की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 3,24,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 16  
मुख्य शीर्ष 2405

**मद क्रमांक 1-3**

मछली पालन विभाग के अंतर्गत राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत सहायक अनुदान हेतु कुल राशि रुपये 328.10 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 3,28,10,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 17  
मुख्य शीर्ष 4425

**मद क्रमांक 1**

सहकारिता विभाग के अंतर्गत सहकारी बैंकों को अंशपूंजी हेतु राशि रुपये 1000.00 करोड़ की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 10,00,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 19  
मुख्य शीर्ष 2210

**मद क्रमांक 1**

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के अन्तर्गत सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली के क्रियान्वयन हेतु प्रतीक प्रावधान किया जाना है। व्यय की पूर्ति स्वीकृत बजट की बचत से की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु नवीन मद में रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 2-3**

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की खाद्य पदार्थों में मिलावट की रोकथाम योजना अंतर्गत हार्डवेयर साफ्टवेयर क्रय किये जाने एवं छात्रवृत्ति हेतु नवीन मद खोलकर राशि रुपये 14.00 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 14,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 4**

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत ड्रग्स रेगुलेटरी सिस्टम के सुदृढीकरण की केन्द्र प्रवर्तित योजना हेतु नवीन मद खोलकर रुपये

100 के प्रतीक प्रावधान की आवश्यकता है। राशि की व्यवस्था उपलब्ध बजट की बचत से पुनर्विनियोजन कर की जायेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मुख्य शीर्ष 4210**

**मद क्रमांक 5**

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत सभागीय स्तर पर खाद्य प्रयोगशाला के भवन निर्माण हेतु नवीन मद खोलकर रुपये 100 का प्रतीक प्रावधान किया जाना है। राशि की व्यवस्था उपलब्ध बजट की बचतों से पुनर्विनियोजन कर की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मांग संख्या 20**  
**मुख्य शीर्ष 2215**

**मद क्रमांक 1**

संविदा पर नियुक्त हैंडपम्प तकनिशियनों के मानदेय मद में राशि रुपये 1.75 करोड़ का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,75,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 2,4,6**

ग्रामीण जल प्रदाय योजना के अंतर्गत हैण्डपंपों के संधारण मद में राशि रुपये 25.00 करोड़ का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 25,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 3,5,7**

ग्रामीण नलजल प्रदाय योजनाओं के संधारण/संचालन मद में राशि रुपये 10.00 करोड़ का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 10,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मांग संख्या 22**  
**मुख्य शीर्ष 2059**

**मद क्रमांक 1**

मंडल की स्थापना व्यय के अंतर्गत निविदाओं के विज्ञापन प्रचार-प्रसार कार्य हेतु नवीन मद खोलते हुये राशि 100 के प्रतीक प्रावधान की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 2**

मंडल की स्थापना व्यय के अंतर्गत डिक्रीधन के भुगतान हेतु नवीन मद खोलते हुये राशि रुपये 27.77 लाख का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 27,77,000 के अनुपूरक विनियोग की आवश्यकता है।

**मुख्य शीर्ष 2217**

**मद क्रमांक 3 - 7**

मंडल अंतर्गत वन संभाग की स्थापना के अंतर्गत अवकाश यात्रा, मकान किराया, चिकित्सा प्रतिपूर्ति एवं वेतन मद हेतु राशि रुपये 15.70 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 15,70,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 8

दीनदयाल रसोई घर योजना एकमुश्त सहायता अंतर्गत अनुदान हेतु राशि रुपये 100 के प्रतीक प्रावधान की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 9

नगरीय विकास एवं आवास के अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना (हाउसिंग फॉर ऑल) हेतु राशि रुपये 190526.52 लाख का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 19,05,26,52,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 10

नगरीय विकास एवं आवास के अंतर्गत अमृत योजना हेतु अनुदान के लिये राशि रुपये 132839.00 लाख का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 13,28,39,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मुख्य शीर्ष 4217**

### मद क्रमांक 11

नगरीय विकास एवं आवास अंतर्गत मेट्रो रेल परियोजना हेतु धनवेधन/निवेश के लिये राशि रुपये 10000.00 लाख का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,00,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मांग संख्या 23**

**मुख्य शीर्ष 4700**

### मद क्रमांक 1

वृहद् सिंचाई परियोजना अंतर्गत निम्नांकित 04 नवीन परियोजनायें प्रस्तावित है। राशि की व्यवस्था बजट की बचतों से की जायेगी।

क्र.	जिला	योजना का नाम	अनुमानित लागत (राशि लाख में)	सिंचाई क्षमता (हेक्टेयर)	प्रतीक अनुदान (राशि रुपये में)
------	------	--------------	------------------------------------	-----------------------------	--------------------------------------

1.	राजगढ़	सुठालिया सिंचाई परियोजना	137524.00	40000	100
2.	सागर	हनौता सिंचाई परियोजना	139242.00	40000	100
3.	बैतूल	ताप्ती (चिह्लुर) सिंचाई परियोजना	262795.00	81600	100
4.	शहडोल	भन्नी सिंचाई परियोजना	28031.00	18300	100

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 400 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 2

मांग संख्या 45-4702 में प्रावधानित राशि में से रुपये 10.00 करोड़ को समर्पित करते हुये मांग संख्या-23-4701 पारसडोह मध्यम सिंचाई परियोजना (बैतूल) हेतु अतिरिक्त राशि की व्यवस्था प्रस्तावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 10,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 3**

मांग संख्या 45-4702 में प्रावधानित राशि में से रुपये 10.00 करोड़ को समर्पित करते हुये मांग संख्या 23-4700 बाणसुजारा सिंचाई परियोजना (टीकमगढ़) हेतु अतिरिक्त राशि की व्यवस्था प्रस्तावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 10,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 4**

मांग संख्या-45-4702 में प्रावधानित राशि में से राशि रुपये 29.00 करोड़ को समर्पित करते हुये मांग संख्या 23-4700 बाणसागर सिंचाई परियोजना यूनिट-2 (रीवा) हेतु अतिरिक्त राशि की व्यवस्था प्रस्तावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 29,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 5**

नहर तथा उससे संबंधित कार्य हेतु शामगढ़ सुवासरा सिंचाई परियोजना मद में राशि रुपये 42.00 करोड़ की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 42,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 6-7**

लोअर ओर परियोजना के निर्माण कार्यों हेतु रुपये 60.00 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता तथा आनुपातिक व्यय को अनु. जनजाति उपयोगना में वर्गीकृत किया जाना प्रस्तावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 60,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान एवं 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 8-9**

पंचम नगर परियोजना के निर्माण कार्यों हेतु रुपये 25.00 करोड़ तथा आनुपातिक व्यय को अनु. जाति उपयोगना में वर्गीकृत किया जाना प्रस्तावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 25,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान एवं रुपये 100 के प्रतीक प्रावधान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 10**

मोहनपुरा परियोजना के निर्माण कार्यों हेतु राशि रुपये 60.00 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 60,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 11**

कुण्डलिया परियोजना के निर्माण कार्यों हेतु राशि रुपये 60.00 करोड़ की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 60,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 12-13**

चंदेरी सूक्ष्म सिंचाई परियोजना के निर्माण कार्यों हेतु राशि रुपये 25.00 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता, तथा आनुपातिक व्यय को अनु. जाति उपयोगना में वर्गीकृत किया जाना प्रस्तावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 25,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान एवं रुपये 100 के प्रतीक प्रावधान की आवश्यकता है।

**मुख्य शीर्ष 4701****मद क्रमांक 14-15**

पवई सिंचाई परियोजना के निर्माण कार्यों हेतु राशि रुपये 25.00 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता, तथा आनुपातिक व्यय को अनु. जाति उपयोजना में वर्गीकृत किया जाना प्रस्तावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 25,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान एवं रुपये 100 के प्रतीक प्रावधान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 16**

डिक्रीधन के भुगतान हेतु राशि रुपये 7.00 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 7,00,00,000 के अनुपूरक विनियोग की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 17**

मध्यम सिंचाई परियोजना अंतर्गत निम्नांकित 08 नवीन परियोजनायें प्रस्तावित हैं। राशि की व्यवस्था बजट की बचतों से की जायेगी।

क्र.	जिला	योजना का नाम	अनुमानित लागत (राशि लाख में)	सिंचाई क्षमता (हेक्टेयर)	प्रतीक अनुदान (राशि रुपये में)
------	------	--------------	------------------------------------	-----------------------------	--------------------------------------

1.	बैतूल	घोघरी सिंचाई परियोजना	31888.00	9990	100
2.	बैतूल	निरगुढ सिंचाई परियोजना	9987.00	3500	100
3.	बैतूल	वर्धा सिंचाई परियोजना	15526.00	5700	100
4.	बैतूल	सातलदेही सिंचाई परियोजना	11083.00	3000	100
5.	बैतूल	मेढा सिंचाई परियोजना	26871.00	5800	100
6.	सागर	कोपरा सिंचाई परियोजना	29238.00	9900	100
7.	सागर	आपचंद सिंचाई परियोजना	16266.00	4830	100
8.	शिवपुरी	सरकुला सिंचाई परियोजना	22662.00	6500	100

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 800 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मांग संख्या 24**  
**मुख्य शीर्ष 3054**

**मद क्रमांक 1**

सड़क अनुरक्षण मद में राशि रुपये 25.00 करोड़ का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 25,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 2 - 4**

मुख्यालय स्थापना योजना अंतर्गत वेतन, भत्ते मद में राशि रुपये 7.07 करोड़ का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 7,07,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मुख्य शीर्ष 5054**

### मद क्रमांक 5

राजस्व मद में प्रावधानित इस योजना में सड़क मार्ग के उन्नतीकरण का कार्य भी सम्मिलित है, जो पूंजीगत स्वरूप का है। अतः इस हेतु पूंजीगत मद में योजना प्रारंभ कर राजस्व मद से रुपये 50 करोड़ की राशि स्थानांतरित की जानी प्रस्तावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 50,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 6

केन्द्रीय सड़क निधि अंतर्गत स्वीकृत सड़क निर्माण कार्यों में राशि रुपये 400.00 करोड़ का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है। यह राशि भारत सरकार से प्रतिपूर्ति योग्य है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 4,00,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 7

एन.डी.बी. के ऋण से प्रगतिरत सड़क निर्माण कार्यों में राशि रुपये 300.00 करोड़ का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 3,00,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 8-10

ए.डी.बी. के ऋण से प्रगतिरत सड़क निर्माण कार्यों में सामान्य मद के अंतर्गत राशि रुपये 192.00 करोड़, आदिवासी उपयोजना के अंतर्गत राशि रुपये 60.00 करोड़ एवं अनुसूचित जाति उपयोजना के अंतर्गत राशि रुपये 48.00 करोड़ इस प्रकार कुल राशि रुपये 300.00 करोड़ का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 3,00,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 11

प्रदेश में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम (ग्रामीण सड़कों सहित) मद के अंतर्गत सड़क निर्माण कार्यों हेतु राशि रुपये 100.00 करोड़ का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,00,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 12

प्रदेश के सड़क कार्यों के सुदृढीकरण कार्यक्रम अंतर्गत राजस्व मद में प्रावधानित राशि को पूंजीगत मद में स्थानांतरित किया जाना है। अतः इस योजना को पूंजीगत शीर्ष-5054 में प्रारंभ किया जाकर राजस्व मद में प्रावधानित राशि रुपये 200.00 करोड़ तथा अतिरिक्त आवश्यकता की पूर्ति हेतु 100.00 करोड़ इस प्रकार कुल राशि रुपये 300.00 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 3,00,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 13-15

सड़क निर्माण कार्यों के लिये एन्यूटी मद के अंतर्गत सामान्य हेतु राशि रुपये 89.00 करोड़, आदिवासी उपयोजना हेतु राशि रुपये 34.00 करोड़ एवं अनुसूचित जाति उपयोजना हेतु राशि रुपये 24.00 करोड़ इस प्रकार कुल राशि रुपये 147.00 करोड़ का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,47,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 25

**मुख्य शीर्ष 2853****मद क्रमांक 1**

खनिज क्षेत्र विकास निधि के अंतर्गत खनिजों का सर्वेक्षण योजना में व्यावसायिक सेवाओं हेतु अदायगियां हेतु अन्य व्यय मद में राशि रुपये 158.75 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,58,75,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मांग संख्या 27****मुख्य शीर्ष 4202****मद क्रमांक 1-3**

प्रदेश के शासकीय प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में विद्युत व्यवस्था हेतु राशि रुपये 30.00 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता है। राशि की व्यवस्था राजस्व मद में उपलब्ध राशि समर्पित कर की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 30,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मांग संख्या 29****मुख्य शीर्ष 2014****मद क्रमांक 1 - 9**

उच्च न्यायालय अंतर्गत वेतन, चिकित्सा प्रतिपूर्ति, मजदूरी, वेतन भत्ते, समचुअरी भत्ता, अंतरिम राहत, परीक्षा एवं प्रशिक्षण एवं मकान किराया भत्ता हेतु राशि रुपये 2.14 करोड़ का प्रावधान किया जाना है। इसके अतिरिक्त कार्यालय उपकरण मद के लिये प्रतीक प्रावधान प्रस्तावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 2,14,00,000 के अनुपूरक विनियोग तथा रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक विनियोग की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 10**

विधि एवं विधायी कार्य विभाग अंतर्गत मकान किराया भत्ता मद हेतु रुपये 11.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 11,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 11**

विधि एवं विधायी कार्य विभाग के अंतर्गत सिविल और सेशन न्यायालय हेतु वेतन मद में राशि रुपये 2.00 करोड़ का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 2,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 12 - 15**

सामान्य स्थापना अंतर्गत वेतन, चिकित्सा अग्रिम, चिकित्सा प्रतिपूर्ति एवं अंतरिम राहत हेतु राशि रुपये 96.15 करोड़ का प्रावधान किया जाना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 96,15,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 16 - 34**

विशेष न्यायालय एम.पी. एवं एम.एल.ए. नवीन योजना अंतर्गत वेतन भत्तों एवं कार्यालय व्यय मदों हेतु रुपये 60.58 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 60,58,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।



**मद क्रमांक 35 - 37**

ग्राम न्यायालय अंतर्गत वेतन एवं अंतरिम राहत मद हेतु रुपये 3.00 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 3,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 38**

विशेष न्यायालय अंतर्गत अंतरिम राहत मद हेतु रुपये 10.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 10,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 39**

महाधिवक्ता कार्यालय हेतु नवीन वाहनों के क्रय मद में राशि रुपये 33.00 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 33,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 40**

परिवार न्यायालय अंतर्गत व्यावसायिक सेवाओं हेतु अदायगिया मद हेतु रुपये 50.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 50,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मुख्य शीर्ष 2015**

**मद क्रमांक 41 - 44**

विधि निर्वाचन के अंतर्गत परीक्षा एवं प्रशिक्षण, विशेष सेवाओं के मानदेय, परिवहन व्यवस्था तथा विज्ञापन एवं प्रचार मद में राशि रुपये 2.95 करोड़ का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 2,95,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मुख्य शीर्ष 2225**

**मद क्रमांक 45 - 47**

विशेष न्यायालयों की स्थापना अंतर्गत वेतन, अंतरिम राहत हेतु रुपये 1.50 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता एवं मशीन एवं उपकरणों का अनुरक्षण मद रुपये 100 के प्रतीक प्रावधान की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,50,00,000 के अनुपूरक अनुदान एवं रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मांग संख्या 30**

**मुख्य शीर्ष 4515**

**मद क्रमांक 1**

ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत किसान सड़क निधि हेतु राशि रुपये 100 के प्रतीक प्रावधान की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 2-4**

प्रधानमंत्री सड़क योजनान्तर्गत निर्मित सड़कों का नवीनीकरण एवं उन्नयन हेतु राशि रुपये 150.00 करोड़ की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,50,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 31  
मुख्य शीर्ष 3454

**मद क्रमांक 1**

आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय के अंतर्गत नवीन वाहन क्रय के लिये वाहन का प्रतिस्थापन के अंतर्गत प्रतीक प्रावधान की आवश्यकता है। राशि की व्यवस्था उपलब्ध बजट की बचतों से पुनर्विनियोजन कर की जायेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4515

**मद क्रमांक 2**

विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना अंतर्गत अनुसूचित जनजाति उपयोजना हेतु राशि रुपये 259.40 लाख का प्रावधान किया जाना आवश्यक है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 2,59,40,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 3**

विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना अंतर्गत अनुसूचित जाति उपयोजना हेतु राशि रुपये 257.125 लाख का प्रावधान किया जाना आवश्यक है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 2,57,12,500 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 32  
मुख्य शीर्ष 2220

**मद क्रमांक 1 - 5**

जनसंपर्क विभाग के अंतर्गत विज्ञापन एवं प्रचार, आतिथ्य व्यय, अन्य राज सहायता, अखिल भारतीय सेवा के वेतन एवं परिवहन व्यवस्था हेतु कुल राशि रुपये 62.87 करोड़ के अतिरिक्त व्यय की संभावना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 62,87,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 6**

जनसंपर्क विभाग में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर प्रचार के अन्तर्गत विज्ञापन एवं प्रचार हेतु कुल राशि रुपये 37.00 करोड़ के अतिरिक्त व्यय की संभावना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 37,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 33  
मुख्य शीर्ष 4225

**मद क्रमांक 1**

जनजातीय कार्य विभाग के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा स्वीकृत गतिविधियों के लिये आदिवासी उपयोजना विशेष सहायता मद कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिये नवीन मद खोला जाना है। राशि की व्यवस्था उपलब्ध बजट की बचतों से पुनर्विनियोजन कर की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 34

**मुख्य शीर्ष 2235**

**मद क्रमांक 1**

सामाजिक न्याय विभाग के अंतर्गत सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना हेतु राशि रुपये 50.93 करोड़ की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 50,93,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 2**

सामाजिक न्याय विभाग के अंतर्गत इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन योजना हेतु राशि रुपये 3.00 करोड़ की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 3,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 3**

सामाजिक न्याय विभाग के अंतर्गत इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना हेतु राशि रुपये 16.09 करोड़ की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 16,09,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 4**

सामाजिक न्याय विभाग के अंतर्गत इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना हेतु राशि रुपये 39.52 करोड़ की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 39,52,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मांग संख्या 35**

**मुख्य शीर्ष 2851**

**मद क्रमांक 1**

मध्यप्रदेश राज्य वस्त्र निगम के विधिक बंदीकरण की कार्यवाही हेतु सहायता अंतर्गत डिक्रीधन का भुगतान ( भारित ) हेतु राशि रुपये 26.74 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 26,74,000 के अनुपूरक विनियोग की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 2**

एम.एस.एम.ई. प्रोत्साहन व्यवसाय निवेश संवर्धन/सुविधा प्रदाय योजना के अंतर्गत परामर्श सेवायें हेतु राशि रुपये 1.84 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,84,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मुख्य शीर्ष 4851**

**मद क्रमांक 3**

भू-अर्जन, सर्वे एवं डिमाकेशन, सर्विस चार्ज अंतर्गत धनवेष्ठन/निवेश हेतु राशि रुपये 230.00 करोड़ का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 2,30,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मांग संख्या 36**

**मुख्य शीर्ष 5002**

**मद क्रमांक 1**

रेल्वे नेटवर्क दूरस्थ एवं पिछड़े क्षेत्रों तक पहुंचाये जाने हेतु गठित जेवीसी को राज्य शासन के अंशदान का भुगतान किये जाने के लिये राशि रुपये

2575.08 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 25,75,08,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मांग संख्या 37**  
**मुख्य शीर्ष 5452**

**मद क्रमांक 1**

पर्यटन अधोसंरचना का विकास अंतर्गत पूंजीगत परिव्यय ( सामान्य ) में वृहद निर्माण कार्य हेतु नवीन मद खोलते हुये राशि रुपये 100 के प्रतीक प्रावधान की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 2**

पर्यटन नीति का क्रियान्वयन के अंतर्गत पूंजीगत परिव्यय ( सामान्य ) में वृहद निर्माण कार्य हेतु नवीन मद खोलते हुये राशि रुपये 100 के प्रतीक प्रावधान की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 3**

पर्यटन क्षेत्र में प्रचार-प्रसार हेतु अनुदान अंतर्गत पूंजीगत परिव्यय ( सामान्य ) में वृहद निर्माण कार्य हेतु नवीन मद खोलते हुये राशि रुपये 100 के प्रतीक प्रावधान की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 4**

पर्यटन अधोसंरचना का विकास अंतर्गत पूंजीगत परिव्यय ( अनुसूचित जनजाति उपयोजना सबस्कीम ) में वृहद निर्माण कार्य हेतु नवीन मद खोलते हुये राशि रुपये 100 के प्रतीक प्रावधान की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 5**

पर्यटन नीति का क्रियान्वयन के अंतर्गत पूंजीगत परिव्यय ( अनुसूचित जनजाति उपयोजना-सबस्कीम ) में वृहद निर्माण कार्य हेतु नवीन मद खोलते हुये राशि रुपये 100 के प्रतीक प्रावधान की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 6**

पर्यटन अधोसंरचना का विकास अंतर्गत पूंजीगत परिव्यय ( अनुसूचित जाति उपयोजना सबस्कीम ) में वृहद निर्माण कार्य हेतु नवीन मद खोलते हुये राशि रुपये 100 के प्रतीक प्रावधान की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 7**

पर्यटन नीति का क्रियान्वयन के अंतर्गत पूंजीगत परिव्यय ( अनुसूचित जाति उपयोजना-सबस्कीम ) में वृहद निर्माण कार्य हेतु नवीन मद खोलते हुये राशि रुपये 100 के प्रतीक प्रावधान की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मांग संख्या 38**  
**मुख्य शीर्ष 2210**

**मद क्रमांक 1 - 3**

आयुष विभाग के अंतर्गत आयुर्वेद चिकित्सालय एवं औषधालय में पदस्थ अमले का वेतन एवं अन्य भत्ते के भुगतान हेतु राशि रुपये 11.37 करोड़ का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 11,37,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 4 - 9**

आयुष विभाग के अंतर्गत राष्ट्रीय आयुष मिशन के लिये केन्द्र प्रवर्तित योजना में राशि रुपये 4301.9530 लाख का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 43,01,95,300 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 10 - 11**

आयुष विभाग के अंतर्गत आयुर्वेद महाविद्यालय में वेतन भत्ते एवं अध्ययनरत छात्रों की छात्रवृत्ति हेतु राशि रुपये 7.00 करोड़ का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 7,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 12**

आयुष विभाग के अंतर्गत होम्योपैथी महाविद्यालय में अध्ययनरत छात्रों की छात्रवृत्ति भुगतान हेतु राशि रुपये 1.00 करोड़ का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मांग संख्या 39**  
**मुख्य शीर्ष 2408**

**मद क्रमांक 1**

खाद्य विभाग के अंतर्गत जिला कार्यालय के अंतर्गत राशि रुपये 100 का प्रतीक प्रावधान की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 2**

खाद्य विभाग के अंतर्गत म. प्र. स्टेट सिविल सप्लाइज कार्पोरेशन को खाद्यान्न उपार्जन में हुई हानि की प्रतिपूर्ति अंतर्गत राशि रुपये 50.00 करोड़ के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 50,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 3**

खाद्य विभाग के अंतर्गत म. प्र. राज्य सहकारी विपणन संघ को खाद्यान्न उपार्जन में हुई हानि की प्रतिपूर्ति अंतर्गत राशि रुपये 50.00 करोड़ के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रूपये 50,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 4**

खाद्य विभाग की समर्थन मूल्य की नवीन योजना के अंतर्गत उपार्जित दालों का रियायती दर पर विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं में उपभोक्ता/हितग्राहियों को वितरण हेतु राशि रूपये 100 के प्रतीक प्रावधान की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रूपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मांग संख्या 44**  
**मुख्य शीर्ष 2202**

**मद क्रमांक 1-12**

म.प्र. उच्च शिक्षा में सुधार योजना अंतर्गत राशि रूपये 1200 के प्रतीक प्रावधान की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रूपये 1200 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 13**

महाविद्यालय के शिक्षक संवर्ग को 7वां वेतनमान के एरियर की राशि का भुगतान किये जाने हेतु राशि रूपये 372.93 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रूपये 3,72,93,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 14**

अतिथि शिक्षकों को मानदेय भुगतान हेतु अनुदान मद में राशि रूपये 20.00 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रूपये 20,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मुख्य शीर्ष 4202**

**मद क्रमांक 15**

उत्कृष्टता संस्थान के अंतर्गत आधारभूत सुविधाओं के विस्तार हेतु राशि रूपये 100 के प्रतीक प्रावधान की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रूपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मांग संख्या 47**  
**मुख्य शीर्ष 2203**

**मद क्रमांक 1 - 4**

प्रदेश के पोलिटेकनिक महाविद्यालयों के लिये भारत सरकार की पोलिटेकनिक उन्नयन योजना हेतु प्राप्त सहायता के लिये प्रतीक प्रावधान शामिल किया जाना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रूपये 400 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मांग संख्या 48**  
**मुख्य शीर्ष 4700**

**मद क्रमांक 1**

नर्मदा मालवा-गंभीर लिंक उद्वहन सिंचाई योजना मद अंतर्गत राशि रूपये 25.00 करोड़ का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 25,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 2**

भीकनगांव-बिन्जलवाड़ा उद्वहन सिंचाई योजना मद अंतर्गत राशि रुपये 10.00 करोड़ का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 10,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 3**

छिपानेर माइक्रो उद्वहन सिंचाई योजना हेतु राशि रुपये 30.00 करोड़ का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 30,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 4**

काली सिंध लिंक सिंचाई योजना मद अंतर्गत राशि रुपये 25.00 करोड़ का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 25,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 5**

छैगांवमाखन उद्वहन सिंचाई परियोजना मद अंतर्गत राशि रुपये 10.00 करोड़ का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 10,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 6**

बिस्टान उद्वहन सिंचाई परियोजना मद अंतर्गत राशि रुपये 10.00 करोड़ का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 10,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 7**

नर्मदा-क्षिप्रा लिंक बहुउद्देशीय परियोजना मद अंतर्गत राशि रुपये 10.00 करोड़ का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 10,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 8**

अलीराजपुर उद्वहन सिंचाई योजना मद अंतर्गत राशि रुपये 25.00 करोड़ का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 25,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 9**

उज्जैनी देवास-उज्जैन पाईप लाईन योजना मद अंतर्गत राशि रुपये 10.00 करोड़ का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 10,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मांग संख्या 49**  
**मुख्य शीर्ष 2225**

**मद क्रमांक 1**

सैनिक स्कूल/निजी संस्थाओं में अध्ययनरत अनुसूचित जाति/जनजाति के विद्यार्थियों के शुल्क की प्रतिपूर्ति, विदेश में उच्च शिक्षा हेतु छात्रवृत्ति मद में

राशि रुपये 2.50 करोड़ का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 2,50,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### **मद क्रमांक 2**

अस्पृश्यता निवारणार्थ आयोजन हेतु पारितोषिक, पुरस्कार, सम्मान मद में केन्द्र प्रवर्तित योजना अंतर्गत राशि रुपये 6.25 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 6,25,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### **मद क्रमांक 3 - 4**

अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण (आकस्मिकता योजना) नियम, 2015 के अंतर्गत राहत प्रकरणों के लिये सहायक अनुदान मद में राशि रुपये 9.59 करोड़ एवं अन्य प्रभार मद में राशि रुपये 30.00 लाख कुल राशि रुपये 9.89 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु केन्द्र प्रवर्तित योजना के अंतर्गत राशि रुपये 9,89,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मांग संख्या 50**  
**मुख्य शीर्ष 2401**

### **मद क्रमांक 1-3**

उद्यानिकी विभाग के अंतर्गत राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन योजना हेतु राशि रुपये 1124.48 लाख का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 11,24,48,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मांग संख्या 51**  
**मुख्य शीर्ष 2250**

### **मद क्रमांक 1**

सेवादारों के मानदेय में वृद्धि एवं नेमनुक हेतु रुपये 10.00 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 10,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मांग संख्या 52**  
**मुख्य शीर्ष 2210**

### **मद क्रमांक 1 - 4**

चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, रीवा भोपाल में संचालित चिकित्सा महाविद्यालय एवं संबद्ध चिकित्सालय हेतु वेतन, कार्यालय व्यय, छात्रवृत्ति एवं मानदेय इत्यादि हेतु रुपये 141.00 करोड़ का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,41,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मुख्य शीर्ष 4210**

### **मद क्रमांक 5**

चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत सिवनी जिला तथा छतरपुर में नवीन चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना हेतु रुपये 1.00 करोड़ का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु नवीन मद के लिये रुपये 1,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।



**मद क्रमांक 6**

चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल में 2,000 बिस्तर सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के निर्माण कार्य हेतु रुपये 55.00 करोड़ का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 55,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 7**

चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत विदिशा, शहडोल, खण्डवा में नवीन चिकित्सा महाविद्यालयों का निर्माण कार्य हेतु राशि रुपये 1.00 करोड़ का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 8**

चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, रीवा, भोपाल में भारत शासन की अंशपोषित परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु निर्माण कार्य के लिये रुपये 100.00 करोड़ का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,00,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 9**

चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत भारत शासन के सहयोग से स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एलाईट हेल्थ की स्थापना इंदौर में किये जाने हेतु निर्माण कार्य के लिये राशि रुपये 8.00 करोड़ का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु नवीन मद के लिये रुपये 8,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मांग संख्या 53**  
**मुख्य शीर्ष 2202**

**मद क्रमांक 1,3,4**

अध्यापकों/शिक्षा कर्मियों/संविदा शाला शिक्षकों एवं अतिथि शिक्षको को मानदेय भुगतान हेतु अनुदान मद में राशि रुपये 204.00 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता है। यह राशि प्रथम अनुपूरक अनुमान वर्ष 2018-19 के अंतर्गत मांग संख्या 33 में प्रावधानित राशि रुपये 204.00 करोड़ के समर्पण से समायोजित की जायेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 2,04,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 2**

अध्यापकों/शिक्षा कर्मियों/संविदा शाला शिक्षकों एवं अतिथि शिक्षको को मानदेय भुगतान हेतु अनुदान मद में राशि रुपये 198.00 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता है। यह राशि प्रथम अनुपूरक अनुमान वर्ष 2018-19 के अंतर्गत मांग संख्या 33 में प्रावधानित राशि रुपये 198.00 करोड़ के समर्पण से समायोजित की जायेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 198,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 5**

पंचायती राज संस्थाओं के अध्यापक तथा संविदा शाला शिक्षकों को वेतन/मानदेय भुगतान हेतु राशि रुपये 1600.00 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता है। यह राशि मांग संख्या 27 एवं 40 में प्रावधानित राशि के समर्पण द्वारा समायोजित की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 16,00,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 6**

अध्यापकों/शिक्षा कर्मियों/संविदा शाला शिक्षकों एवं अतिथि शिक्षको को मानदेय भुगतान हेतु अनुदान मद में राशि रुपये 138.00 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता है। यह राशि प्रथम अनुपूरक अनुमान वर्ष 2018-19 के अंतर्गत मांग संख्या 33 में प्रावधानित राशि रुपये 138.00 करोड़ के समर्पण से समायोजित की जायेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,38,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 7**

अध्यापकों/शिक्षा कर्मियों/संविदा शाला शिक्षकों एवं अतिथि शिक्षको को मानदेय भुगतान हेतु अनुदान मद में राशि रुपये 18.00 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता है। यह राशि प्रथम अनुपूरक अनुमान वर्ष 2018-19 के अंतर्गत मांग संख्या 33 में प्रावधानित राशि रुपये 18.00 करोड़ के समर्पण से समायोजित की जायेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 18,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मुख्य शीर्ष 2515**

**मद क्रमांक 8-10**

पंचायत राज विकास विभाग के अंतर्गत राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आर.जी.एस.ए.) हेतु राशि रुपये 6586.42900 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 65,86,42,900 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मुख्य शीर्ष 4515**

**मद क्रमांक 11**

ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के अंतर्गत किचिन शेड सह भण्डार निर्माण हेतु राशि रुपये 17.145 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 17,14,500 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मांग संख्या 56**

**मुख्य शीर्ष 2851**

**मद क्रमांक 1 - 2**

ग्रामोद्योग विभाग के अंतर्गत हस्तशिल्प एवं हाथकरघा विकास निगम को स्थापना अनुदान हेतु रुपये 200 के प्रतीक प्रावधान की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 200 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 3 - 4**

ग्रामोद्योग विभाग के अंतर्गत म.प्र. खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना हेतु रुपये 200 के प्रतीक प्रावधान की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 200 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मांग संख्या 58**

**मुख्य शीर्ष 2245**

**मद क्रमांक 1**

सूखा फसल क्षति सहायता अंतर्गत सूखा फसल क्षति से प्रभावितों को सहायता हेतु रुपये 30.00 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 30,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 2**

राहत आयुक्त कार्यालय में निर्देशन और प्रशासन अंतर्गत सुरक्षा व्यवस्था मद हेतु रुपये 8.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 8,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मांग संख्या 64**  
**मुख्य शीर्ष 2202**

**मद क्रमांक 1**

अध्यापकों/शिक्षा कर्मियों/संविदा शाला शिक्षकों एवं अतिथि शिक्षको को मानदेय भुगतान हेतु अनुदान मद में राशि रुपये 5.00 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 5,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मुख्य शीर्ष 3604**

**मद क्रमांक 2**

पंजीयन एवं मुद्रांक शुल्क के अधिभार से नगरीय निकायों द्वारा अथवा उनकी ओर से लिये गये ऋणों /ब्याज का प्रतिसंदाय अंतर्गत राशि रुपये 7000.00 लाख का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 70,00,00,000 के अनुपूरक विनियोग की आवश्यकता है।

**मांग संख्या 65**  
**मुख्य शीर्ष 2052**

**मद क्रमांक 1 - 4**

विमानन संचालनालय के अंतर्गत विभिन्न मदों में क्रमशः मजदूरी, बिजली एवं जलप्रभार, खपने वाला सामान एवं पुर्जे मदों में कुल राशि रुपये 3.54 करोड़ का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 3,54,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मांग संख्या 67**  
**मुख्य शीर्ष 2059**

**मद क्रमांक 1**

अनुरक्षण कार्य के अंतर्गत शासकीय भवनों में वाटर हार्वेस्टिंग का निर्माण कार्य हेतु राशि रुपये 2,03,200 का प्रावधान किया जाना आवश्यक है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 2,03,200 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 2 - 5**

निष्पादन योजना अंतर्गत वेतन, भत्ते मद में राशि रुपये 44.75 करोड़ का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 44,75,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मुख्य शीर्ष 2216**

**मद क्रमांक 6**

दर्पण कालोनी स्थित जनता क्वार्टर्स की मरम्मत कार्य हेतु राशि रुपये 32.25 लाख का प्रावधान किया जाना आवश्यक है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 32,25,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मुख्य शीर्ष 4216**

**मद क्रमांक 7**

जिला हरदा में शासकीय आवास गृहों का निर्माण तथा जिला भोपाल में 16 नग बहुमंजिला एफ टाईप शासकीय आवास गृहों का निर्माण प्रस्तावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 200 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 8**

मध्यप्रदेश राजभवन में वृहद् निर्माण कार्य के अंतर्गत राजभवन परिसर के अंतर्गत शासकीय आवास गृहों का निर्माण हेतु राशि रुपये 200.00 लाख के अतिरिक्त व्यय की संभावना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 2,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मांग संख्या 69**

**मुख्य शीर्ष 2225**

**मद क्रमांक 1**

विमुक्त घुम्मकड़ एवं अर्द्ध घुम्मकड़ जनजाति कल्याण विभाग के अंतर्गत व्यवसायिक सेवायें हेतु अदायगियां विशेष सेवाओं के लिये मानदेय के लिये नवीन मद खोला जाना है। राशि की व्यवस्था उपलब्ध बजट की बचतों से पुनर्विनियोजन कर की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।